संख्या: 34/2017/333/छप्पन-2017-10(3)/2004 TC

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2017

विषय: लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर मार्ग पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित किये गये निर्णय के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/ना0उ0नि0/2017, दिनांक 08.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र में अवगत कराया गया है कि लखनऊ स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिये भूमि अर्जन के सम्बन्ध में मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका, न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा 06 प्रकीर्ण वादों- प्रकीर्ण वाद संख्या-19/2002, प्यारे लाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, प्रकीर्ण वाद संख्या-24/2002, प्यारे लाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, प्रकीर्ण वाद संख्या-49/2002, राजेश कुमार आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, प्रकीर्ण वाद संख्या-20/2002, राम गुलाम आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, प्रकीर्ण वाद संख्या-55/2003, लालता प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रकीर्ण वाद संख्या-56/2003, श्रीमती गुरदेई आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित निर्णयों के अनुसार डिक्री की कुल धनराशि रूपये 3,49,43,236/- (रूपये तीन करोड. उनन्चास लाख तैतालिस हजार दो सौ छत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उक्त छः वादों में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित निर्णयों के अनुपालनार्थ डिक्री की कुल धनराशि रूपये 3,49,43,236/- (रूपये तीन करोड. उनन्चास लाख तैतालिस हजार दो सौ छत्तीस मात्र) की सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आहरित कर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

P.T.O.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-38 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य" से वहन की जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 में दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या: 34/2017/333(1)/छप्पन-2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- अपर-जिलाधिकारी, (भूमि अध्यासि) सं0सं0, लखनऊ।
5- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- न्याय अनुभाग-6
8- समीक्षा अधिकारी (बजट), नागरिक उड्डयन अनुभाग, उ0प्र0, सचिवालय।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in